प्रेस नोट - दिनांक 26.03.2025

थाना माखी जनपद उन्नाव।

अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध उन्नाव पुलिस ने चलाया अभियान

एसओजी, सर्विलांस व थाना माखी पुलिस ने दी विभिन्न स्थानों पर दबिश

करीब 02 लाख रूपये कीमती 12 किलो 100 ग्राम अवैध गांजे के साथ 03 अभियुक्त व 06 अभियुक्ता गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी,सर्विलांस एवं थाना माखी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 12 किलो 100 ग्राम अवैध गांजे के साथ 03 अभियुक्त व 06 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 25.03.2025 को एसओजी, सर्विलांस व थाना माखी की संयुक्त टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ के कारोबार के विरुद्ध थाना माखी क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर दबिश देते हुये अभियुक्त 1. मनोज पुत्र मिठाईलाल उम्र करीब 30 वर्ष के कब्जे से 1 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा 2. अभियुक्ता आशा पत्नी मिठाईलाल उम्र करीब 60 वर्ष के कब्जे से 1 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा 3. अभियुक्ता रूपा पत्नी मनोज उम्र करीब 29 वर्ष निवासीगण ग्राम रऊकरना थाना माखी जनपद उन्नाव के कब्जे से 1किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर रेलवे क्रासिंग माखी से स्टेशन जाने वाली रोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना माखी पर मु0अ0सं0 100/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त 4. सुरेश पुत्र स्व0 कल्लू उम्र करीब 48 वर्ष के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा 5.अभियुक्ता रानी उर्फ रन्धा पत्नी सुरेश उम्र करीब 45 वर्ष निवासीगण ग्राम नटपुरवा मजरा रऊकरना थाना माखी जनपद उन्नाव के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर नहर कोठी पर नहर पट्टी पर पुरवा की तरफ से गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना माखी पर मु0अ0सं0 101/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। 6.अभियुक्ता रुबी पत्नी दीपू उम्र करीब 35 वर्ष के कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा 7. अभियुक्ता किरन पत्नी सनी उम्र करीब 22 वर्ष निवासीगण ग्राम नटपुरवा मजरा रऊकरना थाना माखी जनपद उन्नाव के कब्जे से 1 किला 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर नहर कोठी से माखी नहर पुल की तरफ जाने वाली दाहिनी पटरी पर माखी नहर पुल से करीब 100 मीटर पहले गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना माखी पर मु0अ0सं0

102/25 धारा 8/20 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया। 8.अभियुक्ता मीना पत्नी पप्पू उम्र करीब 50 वर्ष निवासीग्राम रऊकरना थाना माखी जनपद उन्नाव के कब्जे से 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर नटपुरवा तिराहा बम्बिया कि पुलिया उन्नाव सफीपुर रोड से गिरफ्तार किया गया । जिसके विरुद्ध थाना माखी पर मु0अ0सं0 103/25 धारा 8/20 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया। 9. अभियुक्त अजय कुमार पुत्र मुन्ना उम्र करीब 28 वर्ष निवासी मोहल्ला नटपुरवा मजरा रऊकरना थाना माखी जनपद उन्नाव के कब्जे से 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर कलन्दर खेड़ा से रऊकरना के बीच हनुमान मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके विरुद्ध मु0अ0सं0 104/25 धारा 8/20 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया । गिरफ्तारशुदा सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मनोज पुत्र मिठाईलाल उम्र करीब 30 वर्ष नि0 ग्राम रऊकरना थाना माखी जनपद उन्नाव
2. आशा पत्नी मिठाईलाल उम्र करीब 60 वर्ष नि0 ग्राम रऊकरना थाना माखी जनपद उन्नाव
3. रूपा पत्नी मनोज उम्र करीब 29 वर्ष नि0 ग्राम रऊकरना थाना माखी जनपद उन्नाव
4. सुरेश पुत्र स्व0 कल्लू उम्र करीब 48 वर्ष नि0 ग्राम नटपुरवा मजरा रऊकरना थाना माखी जनपद उन्नाव
5. रानी उर्फ रन्धा पत्नी सुरेश उम्र करीब 45 वर्ष नि0 ग्राम नटपुरवा मजरा रऊकरना थाना माखी जनपद उन्नाव
6. रुबी पत्नी दीपू उम्र करीब 35 वर्ष नि0 ग्राम नटपुरवा मजरा रऊकरना थाना माखी जनपद उन्नाव
7. किरन पत्नी सनी उम्र करीब 22 वर्ष नि0 ग्राम नटपुरवा मजरा रऊकरना थाना माखी जनपद उन्नाव
8. मीना पत्नी पप्पू उम्र करीब 50 वर्ष नि0 ग्राम रऊकरना थाना माखी जनपद उन्नाव
9. अजय कुमार पुत्र मुन्ना उम्र करीब 28 वर्ष नि0 ग्राम नटपुरवा मजरा रऊकरना थाना माखी जनपद उन्नाव

बरामदगी-

कुल 12 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री मोहनलाल
2. उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र
3. उ0नि0 श्री शिवाकान्त मिश्रा
4. उ0नि0 श्री अजीत प्रताप सिंह
5. उ0नि0 श्री शमीम खां

6. हे0का0 सौरभ मिश्रा
7. हे0का0 गुलाब चन्द्र
8. हे0का0 अब्दुल वसीम
9. का0 संजय यादव
10. का0 राजू
11.का0 विनोद कुमार
12. का0 सचिन कुमार
13. का0 शिव कुमार
14. म0का0 सोनी देवी
15. म0का0 जूलिका सिंह
16. म0का0 निक्की चौहान
17. म0का0 सोनी

प्रेस नोट - दिनांक 26.03.2025

थाना बेहटामुजावर जनपद उन्नाव।

गौतस्करी का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटामुजावर पुलिस द्वारा गौ तस्करी के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 10.03.2025 थाना बेहटामुजावर पर मु0अ0सं0- 60/2025 धारा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11घ पशु क्रूरता अधिनियम बनाम वाहन स्वामी पवन कुमार पुत्र विजय कुमार उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम बहादुरपुर पो0 असेनी जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 26.03.2025 को उ0नि0 श्री रियाज अली मय हमराह पुलिस बल द्वारा अभियुक्त पवन कुमार उपरोक्त को संडीला अंडरपास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

पवन कुमार पुत्र विजय कुमार उम्र करीब 45 वर्ष निवासी बहादुरपुर पो0 असेनी जनपद बाराबंकी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रियाज अली
2. का0राम निवास अवस्थी

प्रेस नोट - दिनांक 26.03.2025

थाना बेहटामुजावर जनपद उन्नाव।

दुष्कर्म का अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटामुजावर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 09.02.2025 को वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना बेहटामुजावर पर मु0अ0सं0 34/2025 धारा 87 B.N.S. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसमें मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता/पीड़िता को सकुशल बरामद करते हुये विवेचना के क्रम में धारा 137(2)/64(1)/123 बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी तथा आज दिनांक 26.03.2025 को प्रकाश में आये अभियुक्त सूरज पुत्र नरेश कुमार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी पलिया थाना सण्डीला जनपद हरदोई को गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सूरज पुत्र नरेश कुमार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी पलिया थाना सण्डीला जनपद हरदोई।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सतीश सिंह
2.का0 मोहित कुमार

प्रेस नोट - दिनांक 26.03.2025

थाना असोहा, जनपद उन्नाव।

अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना असोहा पुलिस द्वारा एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 26.03.2025 को थाना असोहा पुलिस बल द्वारा अभियुक्त सोहन पासी पुत्र स्व0 बिन्दऊ उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम सोहो थाना असोहा जनपद उन्नाव को कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर ग्राम पहासा रामपुर रोड के किनारे बन्द पडे सरकारी नलकूप के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना असोहा पर मु0अ0सं0 41/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सोहन उपरोक्त पंजीकृत कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सोहन पासी पुत्र स्व0 बिन्दऊ उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम सोहो थाना असोहा जनपद उन्नाव

बरामदगी-

एक अदद अवैध तमन्चा 12 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

अपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 31/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम
2. मु0अ0सं0 48/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम
3. मु0अ0सं0 77/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम
4. मु0अ0सं0 135/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम
5. मु0अ0सं0 219/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विमलकान्त गोयल
2. उ0नि0 श्री पंकज कुमार सोनकर
3. उ0नि0 श्री सुशील कुमार सिंह
4. का0 मनीष कुमार
5. का0 उमेश कुमार प्रशान्त
6. का0 सचिन यादव

प्रेस नोट - दिनांक 26.03.2025

थाना बारासगवर, जनपद उन्नाव।

अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बारासगवर पुलिस द्वारा एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- कल दिनांक 25.03.2025 को थाना बारासगवर पुलिस बल द्वारा अभियुक्त मुनेश्वर उर्फ बऊआ पुत्र फल्लर उर्फ रामशंकर उम्र करीब 25 वर्ष नि0ग्राम नन्दुलनखेड़ा थाना बारासगवर जनपद उन्नाव को कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना बारासगवर पर मु0अ0सं0 47/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मुनेश्वर उपरोक्त पंजीकृत कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मुनेश्वर उर्फ बऊआ पुत्र फल्लर उर्फ रामशंकर उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम नन्दुलनखेड़ा थाना बारासगवर जनपद उन्नाव।

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 108/2018 धारा 411/413/414/420 भादवि थाना बारासगवर जनपद उन्नाव।
2. मु0अ0सं0 56/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बारासगवर जनपद उन्नाव।
3. मु0अ0सं0 197/2023 धारा 3/5/8 गौ-हत्या निवारण अधिनियम थाना बिहार जनपद उन्नाव।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री हरि निवास शर्मा
2. हे0का0 चन्द्रेश कुमार
3. का0 बसन्त कुमार पाल
4. का0 रिंकू कुमार

प्रेस नोट - दिनांक 26.03.2025

थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव।

चोरी का अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा चोरी के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 25.03.2025 को वादी श्री लकी पुत्र हरिप्रसाद शर्मा निवासी डहरौली गोवर्धन जनपद मथुरा ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा डम्फरो व ट्रेलर बैट्रिया व अन्य सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना अचलगंज पर लिखित तहरीर दी जिसके सन्दर्भ में थाना अचलगंज पर मु0अ0सं0 134/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 26.03.2025 को उ0नि0 श्री विमलेश द्विवेदी मय हमराह पुलिस बल द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 मन्ना लोध उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम टीकाखेड़ा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव को चोरी की 01 अदद बैट्री व 01 अदद चैन लॉक लोहे व 01 अदद लिफ्टिंग चैन बरामद कर ग्राम टीकाखेडा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 मन्ना लोध उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम टीकाखेड़ा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव

बरामदगी-

01 अदद बैट्री व 01 अदद चैन लॉक लोहे व 01 अदद लिफ्टिंग चैन

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री विमलेश द्विवेदी
2. का0 वसीम